

पत्रावली पेश हुई। वकील इमर पक्ष उपस्थित।
 इतरदमा संघ की ओर से वकील श्री नरपतकि
 चौधरी ने उपस्थिति देखा कालवतनामा पेश किया
 जिसे शायद मिसल किया गया। वक्त के दौरान
 इमर पक्ष द्वारा इरादा कराया गया कि विवादित
 GSS की विवादित भूमि जहां इरादा की गई
 है वहां निर्माण प्रारंभ होकर निर्माण कार्य का सभी
 सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश पाकर हो जाने
 के फलस्वरूप काम बंद करा दिया गया। सिविल
 न्यायालय में इमर पक्ष द्वारा जर्दि राजीनामा
 प्रकरण समाप्त करा दिया गया जिसे GSS की
 निर्माण कार्य पुनः चालू होकर पूर्ण हो चुका है।
 अतः वकील में अब विवाद का किंडु विद्यमान नहीं
 रह गया है। इजाजत देना श्री राजस्व विभाग
 के आधिकारियों की रिपोर्टों एवं इरादा के आधार
 पर बाद परीक्षण लोक टिन में जारी किया गया है
 जो 33/11 KV GSS हाफला बाकत लोकपोपफेरी
 प्रोजेक्ट में इरादा कीमतन किया गया है जो
 विद्यमान एवं राज्य सरकार के परिपत्र।
 इजाजत देना के विहित प्रावधानों को ध्यान में
 रखते हुए एकाएक अपास्त करने के लिए
 कोई लघुलिखित कारण नहीं है। भूमि को इरादा
 के प्रोजेक्ट में उपयोग भी हो चुका है।
 अतः इरादा प्रभावत रखा जाता है।

पत्रावली जमान शुमा देखा नंबर
 की काम हो, दाखिल रफत हो।